न्यायालय, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,प्रथम अम्बेडकर नगर

UPAN010008512026

Bail Application/213/2026

पिंकू सिंह उर्फ रूद्र प्रताप सिंह आयु लगभग–38 वर्ष पुत्र राजेन्द्र प्रसाद सिंह निवासी ग्राम–टिकोरिया बुजुर्ग, थाना–राजेसुल्तानपुर,जनपद अम्बेडकरनगर।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश सरकार ————————————————————अभियोजन पक्ष

17.03.2026

1. आवेदक/अभियुक्त पिंकू सिंह उर्फ रूद्र प्रताप सिंह की ओर से प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अन्तर्गत मु0अ0सं0–20/2026 धारा–140(1), 105 बी0एन0एस0 थाना–राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना–पत्र के साथ अभियुक्त के पैरोकार दुर्गेश सिंह द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी अनीता सिंह द्वारा थानाध्य क्ष–राजेसुल्तानपुर को इस आशय की तहरीर दी गयी कि प्रार्थिनी के पुत्र को दिनांक 11.02.2026 दिन बुधवार सुबह लगभग 9.00 बजे पिंकू सिंह उर्फ रूद्र प्रताप घर से मना करने के बाद भी बाइक से लिवाकर गये। ल गभग 4.00 बजे शाम को मेरा पुत्र आकाश आया फिर दूसरी उनके साथ घर से निकला फिर शाम को लगभग 6 बजे 11.02.2026 को अधमरी अवस्था में लेकर बोलेरो सेआये। पिंकू सिंह उर्फ रूद्र प्रताप व दो अज्ञात लोग घर पर छोड़ कर चले गये। अनीता सिंह पत्नी अभिमन्यु सिंह 112 पर जानकारी दी है। आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जहांगीरगंज पहुॅची जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि विपक्षीगण के खिलाफ उचित धाराओं में पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। उक्त तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया। प्रकरण में विवेचना प्रचलित है।

3. आवेदक/अभियुक्त ने जमानत प्रार्थना–पत्र में यह कथन किया है कि प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में रंजिश के बिना पर महज हैरान व परेशान करने की गरज से झूठा फंसाया गया है। प्रार्थी के खिलाफ कोई माकूल शहादत नहीं है। वादिनी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी बढ़ा–चढ़ा कर एवं विलम्ब से लिखाई है जो फर्जी एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी के खिलाफ धारा–140(1), 105 बी0एन0एस0 का कोई अपराध नहीं बनता है। वादिनी के लड़के को अपहरण करने व जान से मार डालने का कोई मोटिव नहीं है। वादिनी के लड़के की

Digitally signed by RAM BILAS SINGH
Date: 2026.03.17 16:23:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मृत्यु अज्ञात कारणो से हुई है जिससे प्रार्थी का कोई वास्ता सरोकार नहीं है। तथाकथित घटना का कोई स्वतंत्र एवं चश्मदीद साक्षी नहीं है जो भी गवाहान है वह वादिनी मुकदमा के मेलीमददगार है जो प्रार्थी से रंजिश रखते है। प्रार्थी के खिलाफ कोई जुर्म नहीं बनता है। प्रार्थी उपरोक्त मुकदमें में बिल्कुल निर्दोष है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। जमानत पर अवमुक्त करने की याचना की गयी।

4. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि प्रकरण अपहरण एवं हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध जैसे गंभीर प्रकृति के अपराध का है, जमानत निरस्त की जाय।

5. मैंने जमानत प्रार्थना–पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

6. प्रकरण धारा–140(1),105 बी0एन0एस0 से संबंधित है जो हत्या या फिरौती के उद्देश्य से अपहरण व हत्या की कोटि में न आने वालो आपराधिक मानव वध से संबंधित है। अभियुक्त पर वादिनी के लड़के को उसके घर से ले जाने व उसे अधमरी अवस्था में घर पर छोड़ जाने का कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित है। प्रकरण में कारित अपराध अत्यन्त गंभीर प्रकृति का है। आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने से गवाहों को प्रभावित करने की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। प्रकरण अभी विवेचनाधीन है।

अतः मामले के सम्पूर्ण तथ्य एवं परिस्थितियों तथा प्रकरण में कारित हुए अपराध की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए मैं यह पाता हूँ कि आवेदक/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है। आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त पिंकू सिंह उर्फ रूद्रप्रताप सिंह की ओर से मु0अ0सं0–20/2026, धारा–140(1),105 बी0एन0एस0 थाना–राजेसुल्तानपुर, जनपद अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनांक–17.03.2026

(राम विलास सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश,प्रथम
अम्बेडकर नगर
जे.ओ.कोड नं. यू.पी.6067